NATION TAX MARKET

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष
कर और सीमा शुल्क बोर्ड
Government of India
Ministry of Finance,
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs

सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दमण आयुक्तालय
Office of the Commissioner
Central GST & Central Excise,
Daman Commissionerate
जीएसटी भवन, आर.सी.पी. कम्पाउंड,
वापी-३९६१९१
GST Bhavan, RCP Compound,
Vapi-396191

commr-cexdaman@nic.in Ph: 0260-2460305 Fax: 0260-2460484

जेम के माध्यम से वाहनों की खरीद के लिए सूचना

(सरकारी ई-मार्केट प्लेस)

कार्यालय सीजीएसटी और सीई, दमन आयुक्तालय, भारत के राष्ट्रपति की ओर से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार गैर एसी वाहनों को किराए पर लेने के लिए ऑनलाइन निविदा / बोलियां आमंत्रित करता है: -

क्र.स.	वाहन का नाम	आवश्यक वाहनों की संख्या	जीएसटी को छोड़कर प्रति वाहन अधिकतम किराए पर लेने का शुल्क	अर्नेस्ट मनी रु.	वर्ष के लिए निविदा	जमा करने की अंतिम तिथि और समय	बोली खोलने की तिथि और समय
01.	मिड साइज ऑपरेशनल जैसे मारुति सुजुकी अर्टिगा, महिंद्रा एक्सयूवी 500, वाहन को 25/26 दिनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक महीने में अधिकतम 2000 किलोमीटर है और 320 घंटे तक	03	50,000/-	30,000/- (10,000*3)	01.04.2022 से 31.03.2023	09.03.2022 05.00 अपरान्ह	10.03.2022 11:00 पूर्वान्ह

02 इसके अलावा, बोली की प्रक्रिया में पालन किए जाने वाले सामान्य नियमों के अलावा नियम और शर्तें नीचे उल्लिखित बिंदुओं के अनुसार हो सकती हैं। उल्लिखित शर्तें GeM के

22/02/22

Scanned by TapScanner

माध्यम से खरीद प्रक्रिया, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों और कमिश्नरी/मंडल कार्यालयों की व्यावसायिक/कार्य आवश्यकताओं के अनुसार हैं।

i. एमएसएमई छूट : हां (टर्नओवर मानदंड से छूट)

ii. स्टार्ट-अप छूट : हां (टर्नओवर मानदंड से छूट)

iii. ईएमडी राशि : शून्य (एमएसई और स्टार्ट-अप के लिए)

iv. ePBG मूल्य और वैधता : बोली राशि का 03%, 14 महीने की वैधता

v. सेवा प्रदाता का कार्यालय गुजरात राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में स्थित होना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

vi. कार्य अनुभव सरकार के साथ 03 वर्ष की सेवा है। संगठन\पीएसयू\सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी।

vii. वाहन द्वारा यात्रा की गई अधिकतम किमी 75000 किमी तक है।

viii. वाहन के पंजीकरण का वर्ष 2020, 2021, 2022 या एक्स-शोरूम होना चाहिए।

ix. उपयोग प्रकार 2000 किमी * 320 घंटे है। सेवा का प्रकार स्थानीय 24 * 7 है; कभी-कभी बाहरी; गैर एसी वाहन और संचालन का क्षेत्र मैदानी है।

एक्स। बोली लगाने वाले को किसी केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित या काली सूची में नहीं डाला गया हो। या बोली जमा करने के समय भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/नियामक प्राधिकरण।

xi. पिछले 03 वर्षों के दौरान न्यूनतम कारोबार रु. 30 लाख।

xii. बोलीदाता की वित्तीय स्थिति: बोलीदाता परिसमापन के अधीन नहीं होना चाहिए, अदालत की प्राप्ति या इसी तरह की कार्यवाही दिवालिया नहीं होनी चाहिए। बोलीदाता इस आशय का वचनबंध बोली के साथ अपलोड करें।

xiii. बोलीदाता को विस्तृत आरसी प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए। सभी वाहनों के पास वैध टैक्सी परमिट होना चाहिए।

xiv. निविदा को अंतिम रूप देने से पहले निविदाकार को सभी वाहनों को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

xv. एक्सवी वे बोलीदाता, जिन्होंने पूर्व में विभाग को संतोषजनक सेवाएं प्रदान नहीं की है और असमर्थता दिखाई है, तकनीकी बोली के स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।

xvi. वे बोलीदाता, जिन्होंने शर्त संख्या को पूरा नहीं किया है। पूर्व में निविदा के xiv को तकनीकी बोली के स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

xvii. बोलीदाताओं के खिलाफ कोई आपराधिक मिसाल या कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। बोलीदाताओं को बोली के साथ इस आशय का एक वचन पत्र अपलोड करना होगा।

xviii. निविदाकर्ता के नाम कम से कम 2 वाहन होने चाहिए। यदि निविदाकर्ता सीखे हुए वाहन उपलब्ध कराने का इरादा रखता है, तो उसके पास वाहन मालिकों के साथ एक वैध पट्टा समझौता होना चाहिए। लीज एग्रीमेंट की कॉपी जमा करनी होगी।

22/12/22

Scanned by TapScanner

उपरोक्त के अलावा, जीएफआर 2017 के मौजूदा प्रावधानों का भी पालन किया जाना है जो एक खुली, पारदर्शी प्रक्रिया को सक्षम बनाता है।

03. इस निविदा को ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। स्थापित फर्मों/वाहन सेवा प्रदाताओं से ई-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय) में बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। इस नोटिस के नियमों और शर्तों के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सेवा प्रदाता/फर्म आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

04. निविदा पूछताछ दस्तावेज आधिकारिक वेबसाइट https://gem.gov.in पर 23.02.2022 से उपलब्ध होंगे। कोई स्पष्टीकरण और/या विस्तार की नियत तारीख या शुद्धिपत्र/परिशिष्ट केवल ई-निविदा वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे और प्रिंट मीडिया में जारी नहीं किए जाएंगे।

05. बोलियां केवल https://gem.gov.in पर ऑनलाइन जमा की जाएंगी। निविदा दो भागों में ऑनलाइन जमा की जाएगी अर्थात। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली। प्रस्तुत की जा रही बोली के सभी पृष्ठों को अपलोड करने से पहले दस्तावेजों की सामग्री की प्रकृति के बावजूद बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित और क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए। टेलीग्राम/फैक्स/ईमेल आदि द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

06. चूंकि बोलीदाताओं/ठेकेदारों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करके अपनी बोलियों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें इसे जल्द से जल्द प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

07. जीएसटी और सीई, दमन कमिश्नरी किसी भी कारण से वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा में देरी / कठिनाइयों / दुर्गमता के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

08. निविदा जमा करने और प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार हैं:

क्रिटिकल डेट शीट

प्रकाशित तिथि	23.02.2022
बोली दस्तावेज़ डाउनलोड प्रारंभ तिथि	23.02.2022
बोली दस्तावेज़ डाउनलोड समाप्ति तिथि	09.03.2022
आरएफपी के संबंध में स्पष्टीकरण (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) प्रारंभ तिथि और समय (छुट्टियों को छोड़कर)	24.02.2022 (10.00 AM)
आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) समाप्ति तिथि के संबंध में स्पष्टीकरण	08.03.2022 (17.00 PM)
बोली जमा करने की तिथि	23.02.2022
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	09.03.2022

22/2/22

Scanned by TapScanner

तकनीकी बोली खुलने की तिथि	10.03.2022
वित्तीय बोली खोलने की तिथि वित्तीय बोली खोलने की तिथि (वे बोलीदाता जिन्होंने तकनीकी बोलियों में अर्हता प्राप्त की है)	11.03.2022

09. उपरोक्त किसी भी तिथि को बाद में इस कार्यालय के लिए अवकाश/बंद दिन घोषित होने की स्थिति में, निविदाएं अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर खोली जाएंगी।

10. इच्छुक अधिकृत सेवा प्रदाता अपनी बोली निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ डिजिटल हस्ताक्षर के साथ https://gem.gov.in पर बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले जमा कर सकते हैं।

22/02/22

(प्रदीप कुमार बोहरा)
अपर आयुक्त,
जीएसटी और सीई,
दमन आयुक्तालय

Scanned by TapScanner

नियम और शर्तें

1. निविदाओं में एक पंजीकृत और अच्छी तरह से स्थापित कार किराए पर लेने वाली / ट्रैवल एजेंसी / फर्म होनी चाहिए, जिसके पास किराए के लिए वाहनों के पर्याप्त संख्या में नवीनतम मॉडल हों। निविदाकर्ता के स्वामित्व वाले वाहनों की सूची और इस कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने वाले वाहनों का विवरण निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
2. वाहनों को साफ सुथरा और साफ सुथरी आंतरिक सज्जा और अच्छे असबाब के साथ सही चलने की स्थिति में रखा जाना चाहिए।
3. यदि वाहन की स्थिति संतोषजनक नहीं है या कोई खराबी है, तो उन्हें तुरंत बदल दिया जाएगा। यदि समय पर कोई प्रतिस्थापन प्रदान नहीं किया जाता है, तो इस कार्यालय को बाजार से वाहन किराए पर लेने का अधिकार होगा और इस पर होने वाली अतिरिक्त लागत निविदाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
4. निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वाहन केंद्र/राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी के पास पंजीकृत होना चाहिए। प्रदान किए गए वाहन के चालक को समय-समय पर सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित यातायात नियमों और अन्य नियमों का पालन करना चाहिए।
5. निविदाकर्ता के पास चौबीसों घंटे संपर्क स्थापित करने के लिए पर्याप्त संख्या में टेलीफोन होने चाहिए। प्रत्येक चालक ड्यूटी करते समय सभी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करेगा और उचित औपचारिक वर्दी में साफ-सुथरा पहना जाएगा और काम करने की स्थिति में एक मोबाइल फोन रखना होगा, जिसके लिए इस कार्यालय द्वारा कोई अलग भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. उद्धृत दरों में विशेष रूप से जीएसटी घटक का उल्लेख होना चाहिए। यदि ऑपरेटर वैध जीएसटी पंजीकरण का प्रमाण प्रदान करने में विफल रहता है तो जीएसटी का भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. जीएसटी और सीई के अतिरिक्त / उप / सहायक आयुक्त, दमन कमिश्नरी के पास सभी या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या एक से अधिक प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. निविदाकर्ता का कार्यालय मुख्यालय, सीजीएसटी और सीई, दमन के आसपास के क्षेत्र में पंजीकृत होना चाहिए।
09. बिलिंग मासिक आधार पर की जाएगी। सेवा के संबंध में बिल (अधिमानतः कम्प्यूटरीकृत / टंकित और तीन प्रतियों में) अगले महीने के पहले सप्ताह में इस कार्यालय में जमा किए जाएंगे।
10. यदि वाहन 2000 किलोमीटर से कम चलता है, जैसा भी मामला हो, किसी भी महीने में, शेष किलोमीटर उस महीने में अप्रयुक्त रह जाता है, अगले महीने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यदि वाहन किसी महीने में 2000 किलोमीटर से अधिक चलता है, तो उपलब्ध शेष किलोमीटर, यदि कोई हो, को समायोजित किया जाएगा।
11. प्रत्येक वाहन के लिए समय और माइलेज को दर्शाने वाला एक दैनिक रिकॉर्ड ट्रिप शीट में रखा जाएगा और ट्रिप शीट को नियमित रूप से जांच के लिए अधिकृत अधिकारी/अधीक्षक/विभागीय वाहनों के प्रभारी निरीक्षक, दमन आयुक्तालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
12. हायरिंग चार्ज जीरो बेस्ड माइलेज यानी पिक-अप पॉइंट से ड्राप पॉइंट तक के माइलेज के आधार पर होगा।

22/12/22

Scanned by TapScanner

13. एक बार जब किसी विशेष ऑपरेटर से वाहन किराए पर लेना शुरू हो जाता है, तो वाहन और चालक को तब तक नहीं बदला जाना चाहिए जब तक कि अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुरोध न किया जाए। वाहन किसी भी समय और किसी भी दिन प्राधिकृत अधिकारी या जिससे वाहन संलग्न है, की इच्छानुसार उपलब्ध होना चाहिए।

14. जीएसटी और सीई, दमन कमिश्नरी केवल हायरिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अन्य देनदारियां जैसे मासिक शुल्क, चालक का वेतन, वाहन की मरम्मत और रखरखाव, बीमा, पेट्रोल/डीजल, तेल, पार्किंग खर्च और कोई अन्य आकस्मिक खर्च आदि निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

15. किसी भी दुर्घटना के मामले में, दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले सभी दावों को निविदाकर्ता द्वारा पूरा किया जाएगा।

16. किसी भी प्रकार के किसी भी विवाद के मामले में और किसी भी तरह से, जीएसटी और सीई, दमन आयुक्तालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

17. जब कभी आयुक्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त जीएसटी और सीई, दमन आयुक्तालय चाहें, आधिकारिक उपयोग के लिए कहीं भी यात्रा करने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

18. निविदाकार और चालक अधिकृत अधिकारी के साथ-साथ जिस अधिकारी को वाहन आवंटित किया गया है, उसके निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

19. ग्राहक की देयता केवल अनुबंध मूल्य तक सीमित है।

20. समझौते की अवधि के दौरान कोई भी मामला जो विशेष रूप से इन नियमों और शर्तों द्वारा कवर नहीं किया गया है, का निर्णय आयुक्त / अतिरिक्त आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त / सहायक आयुक्त जीएसटी और सीई, दमन आयुक्तालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय होगा अंतिम और निर्णायक।

21. वाहन के पंजीकरण का वर्ष 2020, 2021 और 2022 या एक्स-शोरूम होना चाहिए।

22. अनुबंध को अंतिम रूप देने से पहले किराए पर लिए जाने वाले वाहनों का निरीक्षण विभागीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा और जब तक अन्यथा सहमति न हो, वही वाहन अनुबंध अवधि के दौरान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

23. सफल बोलीदाता को इस कार्यालय के साथ एक किराया अनुबंध करना होगा। उक्त वाहन किराया समझौता किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम एक महीने की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।

24. किसी भी पूछताछ के मामले में, बोलीदाता अधीक्षक (प्रशासन), जीएसटी और सीई, दमन आयुक्तालय से व्यक्तिगत रूप से या फोन नंबर 0260-2460334 पर कार्य के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकता है।

25. यदि अनुबंध अवधि के दौरान अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता होती है, तो यह अनुबंध पर समान दर पर और प्रचलित समझौते के अनुसार समान नियम और शर्तों पर दिया जाएगा।

26. बोलीदाता को अपना पैन नंबर/जीएसटी पंजीकरण संख्या इंगित करना चाहिए और उसके समर्थन में आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए। विभाग कानून के अनुसार सभी करों की कटौती करेगा और इस आशय का टीडीएस प्रमाण पत्र वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। विभाग द्वारा बिलिंग पर लागू जीएसटी का भुगतान किया जाएगा और सेवा प्रदाता सरकारी खजाने को इसका भुगतान करेगा।

27. यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. निविदाकर्ता की ओर से किसी भी अतिरिक्त नियम एवं शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा।

22/12/22

Scanned by TapScanner

29. रुपये का जुर्माना। यदि कोई वाहन किसी भी दिन उपरोक्त नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रति वाहन प्रति दिन 1,000 / - लगाया जाएगा।

30. वाहन किराया समझौता या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, किसी भी पक्ष द्वारा पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है जो 30 दिनों से कम नहीं होगा या अनुबंध की अवधि पूरी होने पर जो भी पहले हो। यदि सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा में कोई कमी है, तो सेवा प्राप्तकर्ता के पास बिना कोई कारण बताए सेवा प्रदाता को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

4/24/22

पी. के. बोहरा / P. K. BOHRA
अपर आयुक्त / Addl. Commissioner

Scanned by TapScanner

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष
कर और सीमा शुल्क बोर्ड
Government of India
Ministry of Finance,
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs
commr-cexdaman@nic.in
Ph: 0260-2460305

सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दमण आयुक्तालय
Office of the Commissioner
Central GST & Central Excise,
Daman Commissionerate
जीएसटी भवन, आर.सी.पी. कम्पाउंड,
वापी-३९६१९१
GST Bhavan, RCP Compound,
Vapi-396191
Fax: 0260-2460484

NOTICE FOR PROCUREMENT OF VEHICLES THROUGH GEM

(GOVERNMENT E-MARKET PLACE)

The Office of the Commissioner of CGST & CE, Daman Commissionerate, invites online tender/bids for Hiring of non AC Vehicles on behalf of the President of India as per details below:-

Sr. No.	Name of Vehicle	Number of Vehicles required	Maximum hiring charges per vehicle excluding GST	Earnest Money Rs.	Tender for the Year	Last date & time of submission	Date & Time of opening of bid
01.	Mid-sized Operational Vehicle i.e. Maruti Suzuki Ertiga, Mahindra XUV 500, to be used Upto 25/26 days subject to maximum of 2000 kms & upto 320 hours in a month	03	50,000/- for petrol/diesel running vehicle & 45,000/- for CNG running vehicle	30,000/- (10,000 *)	01.04.2022 to 31.03.2023	09.03.2022 upto 05.00 pm	10.03.2022 at 11:00 AM

02 Further, the terms and conditions apart from the general ones required to be adhered in the process of bidding may be as per the points mentioned below. The conditions mentioned are in accordance with the procurement process via GeM, instructions issued by Ministry from time to time and vocational/work requirements of Commissionerate /Division offices.

i. MSE exemption : Yes (turnover criteria exempted)

ii. Start-up exemption : Yes (turnover criteria exempted)

iii. EMD amount : Nil (for MSE & Start-up)

iv. ePBG value and validity : 03% of bidding amount, 14 months validity

v. An office of the Service Provider must be located in Gujarat state or Union Territory of Dadra Nagar Haveli and Daman & Diu. Documentary evidence to be submitted.

vi. Work experience is 03 years of service with Govt. Organization\PSU\Public listed company.

vii. Maximum Km travelled by vehicle is up to 75000 Kms.

22/02/22 +22

Scanned by TapScanner

viii. Year of Registration of vehicle should be 2020, 2021, 2022 or ex-showroom.

ix. Usage variant is 2000 km * 320 Hrs., Type of Service is Local 24*7; occasionally outstation; Non AC Vehicle & area of operation is plains.

x. The bidder should not have been debarred or blacklisted by any Central \ State Govt. or Public Sector undertaking\Regulatory authority of India at the time of submission of the bid.

xi. Minimum turnover during last 03 year is Rs. 30 lakhs.

xii. Bidder financial standing: The bidder should not be under liquidation, court receivership or similar proceedings should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid.

xiii. Bidder should submit detailed RC copies. All vehicles must have valid taxi permit.

xiv. The tenderer must produce all vehicles for inspection before finalization of the tender.

xv. Those bidders, who have not provided & shown inability to provide satisfactory services to the department in past, will be disqualified at the stage of technical bid.

xvi. Those bidders, who have not fulfilled the condition no. xiv of the tender in past will be disqualified at the stage of technical bid.

xvii. The bidders should not have any criminal precedents or any criminal proceeding pending against them. Bidders need to upload a undertaking to this effect with the bid.

xviii. The tenderer should have at least 1 vehicle in his/her name. If the tenderer intends to provide learned vehicles, than he must have a valid lease agreement with the vehicles owners. Copy of lease agreement to be submitted.

xix. The hiring may be discontinued immediately when the vehicles are no longer required for the offices for which these are sanctioned.

Apart from the above, the existing provisions of GFR 2017 which enables an open, transparent process is to be adhered too.

03. This tender is being processed through e-procurement system. The bids are invited in a e-bid system (Technical and Financial) from established firms/vehicle service providers. The Service providers/firms fulfilling the requirements, as specified under the terms & conditions of this notice, shall be eligible to apply.

04. The Tender enquiry documents will be available on official websites on https://gem.gov.in from 23.02.2022. Any clarification and/or due date of extension or corrigendum/addendum shall be issued on e-tendering website only and shall not be issued in print media.

05. Bids shall be submitted online only at https://gem.gov.in. The tender shall be submitted online in two parts viz. technical bid and financial bid. All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading. The offers submitted by Telegram/Fax/email etc. shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter.

06. Since the bidders/contractors are required to sign their bids online using Digital Signature Certificates, they are advised to obtain the same at the earliest.

22/02/22

Scanned by TapScanner

07. GST & CE, Daman Commissionerate shall not be responsible in any way for delay/ difficulties/inaccessibility of the downloading facility from the website for any reason whatsoever.

08. The Critical Dates for the Tender Submission and processing are as under:

CRITICAL DATE SHEET

Published Date	23.02.2022
Bid Document Download Start Date	23.02.2022
Bid Document Download End Date	09.03.2022
Clarification regarding the RFP (Request for proposal) Start Date & Time (excluding holidays)	24.02.2022 (10.00 AM)
Clarification regarding the RFP (Request for Proposal) End Date	08.03.2022 (17.00 PM)
Bid Submission start Date	23.02.2022
Bid Submission End Date	09.03.2022
Technical Bid Opening Date	10.03.2022
Financial Bid Opening date Financial Bid Opening date (Those bidders who have qualified in the Technical Bids)	11.03.2022

09. In the event of any of the above-mentioned date being subsequently declared as a holiday /closed day for this office, the tenders will be opened on the next working day at the scheduled time.

10. Interested authorized Service Providers may submit their bids in the prescribed format with all the necessary documents online with digital signature at https://gem.gov.in on or before bid submission closing date & time.

22/02/22

(Pradeep Kumar Bohra)
Additional Commissioner,
GST & CE,
Daman Commissionerate

Scanned by TapScanner

TERMS AND CONDITIONS

1. The tenders should have a registered and well-established car rental/ travel agency / firm having sufficient number of latest models of vehicles for hiring. List of vehicles owned by the tenderer and the details of the vehicles to be provided to this office, must be attached along with the tender documents.

2. The vehicles should be kept neat and clean and in perfect running condition with clean interiors and good upholstery.

3. In case, the condition of vehicle is not satisfactory or there is a breakdown, they shall be replaced immediately. In case no replacement is provided on time, this Office will have the right to hire a vehicle from the market and the additional cost, so incurred will be borne by the tenderer.

4. The tenderer would ensure that every driver should have valid driving license and the vehicle should be registered with the concerned authority of Central/State Government. The driver of the vehicle provided must follow traffic rules, and other regulations prescribed by the Government authorities from time to time.

5. The tenderer should have an adequate number of telephones for establishing contact round the clock. Each driver shall observe all the etiquette and protocol while performing the duty and **shall be neatly dressed in proper formal uniform** and must carry a mobile phone in working condition, for which, no separate payment shall be made by this Office.

6. The rates quoted should specifically mention the GST component. No GST will be paid if the operator fails to provide proof of valid GST Registration.

7. The Additional / Deputy /Assistant Commissioner of GST & CE, Daman Commissionerate reserves the right to reject all or any of the offers or accept more than one offer.

8. The billing will be done on monthly basis. The bills (preferably computerized/typed and in triplicate) in connection with the service shall be submitted to this Office in the 1st week of the following month.

09. The tenderer should have provided service to Central Government/ PSUs for a turnover of at least 30 Lakhs in last three years.

10. In case the vehicle runs less than 6000 Kms (cumulated all three), as the case may be, in any month, the balance kilometers remained unutilized in that month shall be carried forward to the next month. In case the vehicle runs more than 6000 Kms in any month (cumulated all three), the balance kilometers available, if any, shall get adjusted.

11. A daily record indicating time and mileage for each vehicle shall be maintained in trip sheet and the trip sheet be submitted to the authorized officer/Superintendent /Inspector in charge of Departmental vehicles, Daman Commissionerate, regularly for scrutiny.

12. The hiring charges shall be on the basis of zero based mileage i.e., mileage starting from the point of pick-up to the point of drop.

13. Once the hiring of vehicle commences from a particular operator, the vehicle and the driver should not be changed unless requested by authorized officer/office. The vehicle must be available at any time and any day as desired by the authorized officer/office or to whom the vehicle is attached.

14. The GST & CE, Daman Commissionerate shall be liable to pay the hiring charges only. Other liabilities like monthly charges, salary of driver, repair and maintenance of vehicle, insurance, petrol/diesel, oil, parking expenses, toll and any other incidental expense etc. shall be borne by the tenderer.

15. In case of any accident, all the claims arising out of the accident shall be met by the tenderer.

22/12/22

Scanned by TapScanner

16. In case of any dispute of any kind and in any respect whatsoever, the decision of the GST & CE, Daman Commissionerate shall be final and binding.

17. The vehicle must be made available to travel anywhere for official use as and when the Commissioner Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner of GST & CE, Daman Commissionerate desires.

18. The tenderer and driver shall be bound to carry out the instructions of the authorized officer as well as the office to whom the vehicle is allotted.

19. The liability of the Customer is limited to the contract value only.

20. During the period of agreement any matter which has not been specifically covered by these terms and conditions shall be decided by the Commissioner/Additional Commissioner/Joint Commissioner/Deputy Commissioner/Assistant Commissioner of GST & CE, Daman Commissionerate, whose decision shall be final and conclusive.

21. Year of Registration of vehicle should be 2020, 2021 & 2022 or ex-showroom.

22. The vehicles to be hired will be subjected to inspection by the Departmental officer before finalizing the contract and the same/similar vehicles should be provided during the contract period unless and otherwise agreed upon.

23. The successful bidder shall enter into a hire agreement with this office. The said vehicle hire agreement can be terminated by either party after giving a prior notice of not less than one month.

24. In case of any inquiry, the bidder may contact the Superintendent (Admn.), GST & CE, Daman Commissionerate in person or on phone number 0260-2460334 on any working days during the working hours.

25. If there is requirement of additional vehicles during the contract period, it will be given on contract at the same rate and the same terms and condition as per the prevailing agreement.

26. The bidder should indicate their PAN No./GST Registration No. and submit the necessary registration certificates in support of the same. The Department shall deduct all taxes as per law and TDS certificate to that effect is issued once in a year. GST as applicable will be paid on billing by the Department and the service provider shall pay the same to Government.

27. This office reserves the right to accept or reject any or all the bids without assigning any reasons whatsoever.

28. No additional terms & conditions from the tenderer shall be entertained.

29. A penalty of Rs. 1,000/- per day per vehicle will be levied if any vehicle fails to meet the above terms and conditions, on any day.

30. The vehicle hire agreement may be terminated either in full or in part, by either party by giving prior notice which shall not be less than 30 days or on completion of agreement term whichever date arises earlier. If there is a deficiency in service provided by the SERVICE PROVIDER, the SERVICE RECEIVER reserves the right to terminate the contract at any time without giving prior notice to the SERVICE PROVIDER without assigning any reasons.

22/02/22

(Pradeep Kumar Bohra)
Additional Commissioner,
GST & CE,
Daman Commissionerate

Scanned by TapScanner